

10/06/24

पत्रावली पेश हुई। पीठपीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त इत्यादि
होकर पत्रावली पूर्व आपदाकानूनसार
आईन्दा दिनांक 13/06/24 को पेश हो।

19/06/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपस्थित। विपक्षीगण
के सम्मत खुलेख delivered Report सहित
पत्र जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है।
विपक्षी संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री एसएम
खान ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल
पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वस्तु विपक्षीगण
के जवाब हेतु आदि दिनांक 21/06/2024 को
पेश हो।



27/06/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्षकारान् उपस्थित।
वकील विपक्षी संख्या 9, 10 की ओर से जवाब
पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया
जाता है। शेष विपक्षीगण को जवाब का अक्सर
बने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया
गया। अतः उनका जवाब बंद किया जाता है।
वकील उमयपक्षकारान् ने वस्स युनने का निवेदन
किया गया। वकील उमयपक्षकारान् की वस्स
सुनी गई। वस्स पर मनात किया गया।
पत्रावली का अध्यापन अड्लोकन किया गया
जिससे यह प्रतीत होता है कि पार्थीगण का
पार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः लेखमबंदी निर्णय
अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता
है। पत्रावली कैम्बर नुमार होकर वकील हतर से।
संख्या से एक का हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं 49/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

घुड़ा वगैरा बनाम भेरा वगैरा
पीढासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील - श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय


दिनांक - 27/06/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा वेरड़ी के खेत खसरा संख्या 733/386 रकबा 5.0262 हैक्टर, खसरा संख्या 734/386 रकबा 3.8283 हैक्टर, खसरा संख्या 796/733 रकबा 2.8328 हैक्टर किस्म बा.सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा वेरड़ी के खेत खसरा संख्या 733/386 रकबा 5.0262 हैक्टर, खसरा संख्या 734/386 रकबा 3.8283 हैक्टर, खसरा संख्या 796/733 रकबा 2.8328 हैक्टर किस्म बा.सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/06/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(विरेन्द्रसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. धुड़ा पुत्र काला 2. जोराराम पुत्र पन्ना 3. प्रहलाद पुत्र पन्ना 4. बालका पुत्र काला 5. भेरा पुत्र काला 6. मफाराम पुत्र महेन्द्रा 7. मल्लाराम पुत्र महेन्द्रा 8. मूला पुत्र काला 9. मसराराम पुत्र महेन्द्रा 10. मीरादेवी पत्नि महेन्द्रा 11. प्रभुराम पुत्र मेघाराम 12. पुरोदेवी पत्नि पाबूराम 13. झुमोदेवी पत्नि नारणाराम जाति रबारी, निवासी वेरडी, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. भेरा पुत्र काला 2. डायाराम पुत्र धुड़ा 3. बालका पुत्र हरकेन 4. सुरता पुत्र मगना 5. धुड़ा पुत्र तगा 6. नारणाराम पुत्र तुलछा 7. वजाराम पुत्र तुलछा 8. हंसाराम पुत्र करना 9. डला पुत्र जोगा जाति भील, निवासी मीठडी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।
बनाम	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।


राजस्व आवेदन संख्या 49/2024

दिनांक :

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा वेरडी के खेत खसरा संख्या 733/386 रकबा 5.0262 हैक्टर, खसरा संख्या 734/386 रकबा 3.8283 हैक्टर, खसरा संख्या 796/733 रकबा 2.8328 हैक्टर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।


 (विनेन्द्रसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी

सेड़वा

दिनांक

क्रमांक/भू.अ./2024/

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी धुड़ा पुत्र काला वगैरा।
3. विप्रार्थीगण भेरा पुत्र काला वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी

सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी 1. धुड़ा पुत्र काला 2. जोराराम पुत्र पन्ना 3. प्रहलाद पुत्र पन्ना 4. बालका पुत्र काला 5. भेरा पुत्र काला 6. मफाराम पुत्र महेन्द्रा 7. मल्लाराम पुत्र महेन्द्रा 8. मूला पुत्र काला 9. मसराराम पुत्र महेन्द्रा 10. मीरादेवी पत्नि महेन्द्रा 11. प्रभुराम पुत्र मेघाराम 12. पुरोदेवी पत्नि पाबूराम 13. झुमोदेवी पत्नि नारणाराम जाति रबारी, निवासी वेरड़ी, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	बनाम विप्रार्थीगण 1. भेरा पुत्र काला 2. डायाराम पुत्र धुड़ा 3. बालका पुत्र हरकेन 4. सुरता पुत्र मगना 5. धुड़ा पुत्र तगा 6. नारणाराम पुत्र तुलछा 7. वजाराम पुत्र तुलछा 8. हंसाराम पुत्र करना 9. डला पुत्र जोगा जाति भील, निवासी मीठड़ी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।
---	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।


राजस्व आवेदन संख्या 49/2024

दिनांक :

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा वेरड़ी के खेत खसरा संख्या 733/386 रकबा 5.0262 हैक्टर, खसरा संख्या 734/386 रकबा 3.8283 हैक्टर, खसरा संख्या 796/733 रकबा 2.8328 हैक्टर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कृठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।


 (विरेन्द्रसिंह भाटी)
 उपखण्ड अधिकारी
 सेड़वा
 दिनांक

क्रमांक/भू.अ./2024/

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी धुड़ा पुत्र काला वगैरा।
3. विप्रार्थीगण भेरा पुत्र काला वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा